न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 50 / 2018

देवी प्रसाद पुत्र प्रभू जाति ब्राहम्ण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.......प्रार्थी0

बनाम

1– उपखण्ड अधिकारी नदबई एवं सहायक कलेक्टर नदबई

2– परमानन्द पुत्र प्रभू जाति ब्राहम्ण निवासी परसवारा तहसील नदबई

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट विरुद्व सहायक कलेक्टर नदबई अन्तर्गत प्रकरण दावा संख्या 99 / 2008 उनवानी देवी प्रसाद बनाम परमानन्द

————

निर्णय दिनांक 28.6.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी एक दावा सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी. की ओर से एक प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी दिनांक 20.2.2018 को पेश किया गया। जिसमें प्रार्थी ने अपना जबाब दिनांक 11.4.2018 को पेश किया गया, जबाब दर. पेश होने पर पीठासीन अधिकारी ने खुले न्यायालय में कह दिया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर तुम्हारा दावा खारिज करने योग्य है, जब कि दावा प्रतिवादीगण की वारिसान की तलबी में लगा हुआ है। गैरसायल न.2ने भी गांव में धमकी दी है कि अफसर से बात हो गई है दावा खारिज होगा। प्रार्थी को सहायक कलेक्टर नदबई से विचाराधीन दावा में न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिली किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। सहायक कलेक्टर नदबई से टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलेक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। सहायक कलेक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 99 / 2008 देवीप्रसाद बनाम परमानन्द को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहाॅ मुन्तकिली किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलेक्टर नदबई एवं एस.डी.ओ. भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Web Copy, Not Official